P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाएँः एक अध्ययन

Dalit women suffering from Rape: A Study

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

जितेन्द्र कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, दमोह,
मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

शारीरिक आघात से कही अधिक पीड़ा दायक मानसिक आघात होता है। जिसमें पीड़ित व्यक्ति जीवन पर्यन्त पीड़ा का अनुभव करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न जातियों को निरंतर सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता हैं वही समाज में स्त्री को भी इस पुरूष प्रधान समाज में दलितों की तरह व्यवहार किया जाता है। एक दलित परिवार में जन्मी महिला को तो दलितों के भी दलित समझा जाता है। और वह समाज एवं परिवार दोनों में निम्न ही होती है। जहॉ सामाजिक व्यवस्था दलितों के प्रति द्वयम स्तर के नागरिक की तरह व्यवहार करती है वही दलित परिवार में उत्पन्न हुई महिलाओं को इसकी दोगुनी यातनाएँ एवं पीड़ा भोगनी होती है। जाति व्यवस्थ के सोपान क्रम में निम्नतम एवं घृणित स्थिति, पुरूष प्रधान पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उपेक्षित व्यवहार को सहना पड़ता है। जो हमारे धर्म ग्रंथो एवं पुराणों में दैवीय आदेशनुसार स्त्रियों को ईश्वरीय आदेश की मानसिक बेड़ियों में जकड़कर मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित जीवन व्यतीत करने का पाठ पढ़ाती है। अर्थात् शारीरिक और मानसिक गुलामी एवं अत्याचार को सहन करके जीवन व्यतीत करने और विरोध न कर पूर्व जन्मों एवं दैवीय आदेश मानकर स्वीकार करने के सामाजिक विधानों के अुनसार पति परमेश्वर की धारणा का अनुसरण करती हुई सती होती है जौहर करती है।

प्रस्तुत आलेख, जबलपुर जिला के अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध मामलों को लिया गया है। जो बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं पर केन्द्रित है। जिसमें बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्ञात किया गया है।

Physical trauma is more painful than physical trauma. In which the victim experiences life-long suffering. From the social point of view, the lower castes have to face constant social humiliation, in the same society, women are treated like Dalits in this male dominated society. A woman born in a Dalit family is considered a Dalit even among Dalits. And it happens in both society and family. Where the social system treats the Dalits as dual-level citizens, the women born in the Dalit family have to suffer double the torture and suffering. The lowest and disgusting position in the hierarchy of the caste system, neglected behavior has to be tolerated in the male dominated patriarchal system. In our religious texts and Puranas, it teaches the lesson of women to lead a psychologically afflicted life by holding them in the mental shackles of the divine order. That is, according to the social laws of living and tolerating slavery and tyranny, and living and not opposing and accepting the divine orders, the husband does the Jauhar, following the concept of God.

The submitted article, registered cases have been taken up in the Scheduled Caste Welfare Cell of Jabalpur district. Which focuses on Dalit women suffering from rape. In which the social background of Dalit women suffering from rape is known.

मुख्य शब्द : दलित, बलात्कार क्या है? बलात्कार के कारण, परिणाम, बलात्कार अपराध के समाधान।
Dalit, What Is Rape? Causes Of Rape, Consequences, Solutions To Rape Crime.

प्रस्तावना

दलित एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसका प्रयोग संवैधानिक रूप से परिभाषित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उस समूह से लिया जाता है, जो तथाकथित रूप से उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है

जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ा है। 'दलित वर्ग' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1920–30 के आस–पास हुआ, किंतु 1973 के बाद यह एक जनसामान्य शब्द बन गया। दलित से यहाँ आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा –341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं।[1]

वर्तमान भारत का एक गम्भीर मुद्दा बलात्कार है। यह दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है। 1983 से 1988 के बीच प्रत्येक 80 मिनट पर यानि प्रतिवर्ष लगभग 6570 बलात्कार के मामले आये।[2] वहीं 1993 में प्रत्येक 54 मिनट में यानि प्रतिवर्ष लगभग 9825 बलात्कार हुये।[3] अभी 2012 में प्रत्येक 30 मिनट पर एक यानि पूरे वर्ष में लगभग 17520 बलात्कार हुए।[4] ये आंकड़े समाज के लिए चिंताजनक हैं। आयु के हिसाब से बलात्कार के शिकार 16–30 वर्ष आयु–समूह में सर्वाधिक लगभग 64.1 प्रतिशत हैं, दूसरे स्थान पर 10 से 16 वर्ष आयु समूह के लगभग 20.5 प्रतिशत है, तीसरे स्थान पर 30 वर्ष से ऊपर 12.8 प्रतिशत हैं और चौथे स्थान पर 10 वर्ष से कम लगभग 2. 6 प्रतिश्ता है।[5]

बलात्कार क्या है?

अपराध का एक रूप 'यौन अपराध', का स्वरूप 'बलात्कार' है। बलात्कार का अभिप्राय कामवासना से प्रेरित होकर ऐसी क्रिया, जो जानबूझकर, धमका कर व बलपूर्वक स्त्री के साथ अस्वीकृत यौन संबंध, स्थापित करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्त्री को आघात पहुंचा हो, उसके सम्मान को ठेस लगी हो या उसका विनाश (मृत्यु) हुआ हो तथा जिसके चलते अपराधी दण्ड का भागी बने। इस रूप में बलात्कार एक ऐसा घिनौना कृत्य है, जो मानवीयता के हास का सूचक है। बलात्कार में अधिकांश 58 प्रतिशत एकल बलात्कार होते हैं, जिसमें एक अपराधी होता है, 21 प्रतिशत सामूहिक बलात्कार (गैंग रेप) होते हैं, जिसमें तीन या अधिक अपराधी होते हैं। 90 प्रतिशत बलात्कारां में किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा व क्रूरता नहीं होती। महिला को वश में करने के लिए प्रलोभन या दबाव काम में लिये जाते है।[6] 10 प्रतिशत में शारीरिक हिंसा व क्रूरता देखी जाती है। 50 प्रतिशत मामलों में पीड़ित महिला अपने हमलावर को पहचानी हुई होती है, जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार मित्र, सहयोगी कर्मचारी, चिकित्सक, अध्यापक एवं प्रशासक आदि। यद्यपि 60 प्रतिशत बलात्कार स्थितिजन्य होते हैं, लेकन 40 प्रतिशत मामलों में यह नियोजित होती है। अधिकतर मामलों में महिलाएं बल प्रयोग का शिकार होती है[7] गरीब एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं के साथ–साथ जेल में कैद महिलाओं के साथ अधीक्षकों द्वारा, अपराध संदिग्ध महिलाओं के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा, महिला मरीजों के साथ चिकित्सा सेवकों द्वारा और वेतनभोगी महिलाओं के साथ ऊपर के नौकरशाहों द्वारा बलात्कार होते हैं। यहां तक कि बहरी, गूंगी, पागल, अंधी, भिखारिन व छोटी बच्ची भी नहीं बच पाती है।

बलात्कार का कारण

पहला, विकृत मानसिकता है, जिसके विकास में सुखवादी व भोगवादी प्रवृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन और उन्मुक्ता आदि का योगदान है। दूसरा, 21वीं सदी के द्वितीय दशक में भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन है। औरत या तो पिता की सम्पत्ति है या पति की। आधी आबादी के प्रति दूसरे आधे आबादी की यह मनोवृत्तिक जारी है। धार्मिक गुरूओं, राजनीतिज्ञों एवं शिक्षाविदों से लेकर आमजनों तक सभी औरतों को ही दायरे में रहने की धौंस देते हैं। सामाजिक कलंक व अपमान को सिर्फ स्त्रियों से जोड़ने की प्रवृत्ति जारी है। तीसरा, लोगों में जेड़र के प्रति सहिष्णुता नहीं है।[8] मन की जो कोमल भावनाएं हैं, समाप्त हो चुकी हैं। औरतों के प्रति हमारा नजरिया दिन व दिन बदतर होता जा रहा है।[9] चौथा पारिवारिक दशाएं (यानि टूटा परिवार, अनैतिक परिवार, नियंत्रण का अभाव, असंतोषपूर्ण संबंध व गुमशुदा बच्चे आदि) इस ओर मोड़ सकती हैं। बच्चे की जीवनशैली क्या है, वे कितने रात तक टी.वी. देख रहे हैं, वह कौन सा चैनल है, इससे अभिभावक वाकिफ नहीं। पांचवा, भ्रष्टाचार हमारी जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसतंत्र, शिक्षातंत्र व आमजनों में व्याप्त है। जुडिशियरी में 'जस्टिश डिलेड इज जस्टिश डिनाइड' की कहावत चरितार्थ है। बलात्कार के कितने मामलों में सजा हो पाती है? अधिकांश अपराध दर्ज ही नहीं होते। हाइप्रोफाइल मामलों में तथा धन के आधार पर पुलिस प्रशासन द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट, साइन्टिफिक प्रूफ व गवाह तक बदल दिये जाते हैं। शिक्षातंत्र तो मृतप्राय है। आमजन उदासीन हैं। छठा, ब्लूमर एण्ड हाउसर[10]ए न्यूकॉम्ब[11], सदरलेण्ड एवं क्रेसी[12] आदि के शोध बतलाते हैं कि फिल्में युवाओं में अपराध से जुड़ी अनेक उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं। अधिकांश फिल्मों के कथानक हत्या, मारपीट, नशीले पदार्थों के सेवन व कामवाना से परिपूर्ण होते हैं, जो अनुचित आदर्श परोसते हैं।

बलात्कार के परिणाम

पहला, यह पीड़ित महिलाओं के व्यक्तित्व को लांछित कर अव्यवस्थित कर सकता है और उनका परिवार अपमानित हो सकता है। दूसरा, हिफाजत, सामाजिक पहचान व इंसाफ की गैर मौजूदगी में पीड़िता आत्महत्या को आखिरी रास्ता मान सकती है। जब महिला के जीवन में अचानक बलात्कार जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका सामाजिक संतुलन टूट–फूट जाता हैं, ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होती है। दुर्कहेम[13] ने इसे विसंगत आत्महत्या कहा है। तीसरा, बलात्कार की बढ़ती दर ने शासनतंत्र, पुलिसतंत्र एवं न्यायतंत्र के प्रति अविश्वास की भावना को विकसित किया है। हर व्यक्ति डर, निराशा और आक्रोश में है। चौथा, सामाजिक, निर्बलता बलात्कार के परिणाम कहे जा सकते हैं। हर वर्ग में उदासीनता सामाजिक निर्बलता का सूचक है। हम ऐसा पाखंडमुक्त समाज क्यों नहीं बना सकते, जिसमें बर्बर की बर्बर कहा समझा जा सके।

बलात्कार की शिकार दलित महिलाएँ

अत्याचार से साधारणतया शिकार वे महिलायें होती है। जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत

निम्न होती है जिनमें विरोध करने का सामर्थ्य नही होता तथा जिनके परिवार के सदस्य सदैव भय के वातावरण में रहते है। जो उच्च जातियों की शक्ति एवं उनके प्रभाव के कारण परिवार के अन्य सदस्यों पर अत्याचार होने के भय के कारण अत्याचार का शिकार होती रहती है। जिनमें सामाजिक परिपक्वता की सामाजिक या असामाजिक अन्तरवैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है। जिनके पति/ससुराल/परिवार वालों का विकृत व्यक्तित्व है। जिनके परिवार में अत्याधिक मदिरापान किया जाता है। जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में रहती है जिन्हे समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामान्य परिवार नही कहा जा सकता। जिन्हे जीवनयापन हेतु दूसरों के घरो, कारखानो, खेतो आदि में श्रम करना पड़ता है।

दलित महिलाओं पर अत्याचार के कारण

दलित जातियों के प्रति हीनता की भावना। महिला एवं महिला के परिवार के प्रति शत्रुता की भावना।, परिस्थितिवश प्रेरणा। दलित महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दशा निम्न होने के परिणामस्वरूप उनमें विरोध की शक्ति न होने के कारण।[14]

पूर्व अध्ययन की समीक्षा

चौधरी जितेन्द्र कुमार[15] (2015) दलितों पर अत्याचार प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में इन्होने अपने शोध प्रबंध में दलितों पर होने वाले अत्याचार में होने वाले परिवर्तन को स्वरूप को प्रस्तुत किया है जो मुख्यतः महिलाओं पर होने वाले यौन अत्याचार की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। तथा पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में होने वाला विलम्ब एवं अस्थिरता तथा न्याय प्राप्त करने के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का उल्लेख विस्तारपूर्वक किया है जो दलितों को और पीड़ित करने वाली होती है जिसके परिणामस्वरूप दलित न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायालय एवं प्रशासन की कार्यप्रणालियों द्वारा अपने आपको और अधिक पीड़ित महसूस करते हैं।

श्रीमति भावना वर्मा[16] (2002) महिलाओं के प्रति अपराध कारण व परिणाम, अपनी शोध पुस्तक में जबलपुर जिले की महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों उनके कारणों एवं परिणामों को स्पष्ट किया है इन्होने अपने अध्ययन में पाया कि अपराध की घटना की जाति के साथ सह संबंध है तथा सर्वाधिक अपराध की घटनाएँ अनुसूचित जाति (दलित) महिलाओं के साथ घटित होती है तथा कम उम्र की तथा निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थितियों की महिलाओं के प्रति अपराध की दर अधिक पाई जाती है।

पंचांग राजकुमारी[17] (1995) ''मध्यप्रदेश में दलित महिला अतीत वर्तमान और भविष्य'' इन्होनें मध्यप्रदेश के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हुए अत्याचार एवं वर्तमान समय में स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माण के बाद हो रहे अत्याचार बलात्कार यौन उत्पीड़न मारपीट आदि घटनाओं को प्रस्तुत किया।

डाओने सुनील[18] (2004) ''नारी उत्पीड़न'' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में अध्ययन के दौरान पाया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार, यौन उत्पीड़न बलात्कार तथा शारीरिक शोषण संबंधी तमाम घटनाओं का चित्र सहित वर्णन प्रस्तुत किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की संख्या एवं जाति ज्ञात करना।

कार्यकारी उपकल्पना

1. तुलनात्मक रूप से निर्धन परिवारों की दलित महिलाओं के बलात्कार से पीड़ित होने की संभावना अधिक पाई जाती है।
2. विवाहितों की तुलना में अविवाहितों के बलात्कार से पीड़ित होने की दर अधिक पाई जाती है।
3. उच्च शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित एवं कम शिक्षित बलात्कार से अधिक पीड़ित पाई जाती है।
4. आयु समूह के आधार पर 18 वर्ष से कम आयु की दलित महिलाएं बलात्कार से पीड़ित पाई जाती हैं।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रपत्र अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ जबलपुर (म.प्र.) में पंजीबद्ध प्रकरणों को लिया गया है, जो जबलपुर जिले की बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं से संबंधित है। अध्ययन विधि के रूप में वर्णात्मक सह विश्लेषणात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। तथा सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर पंजीबद्ध 105 प्रकरण (जो पीड़ित दलित महिलाओं से संबंधित है) में से 42 (40:) बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं का चुनाव किया गया है। तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो ही तरह के तथ्यों का उपयोग किया गया तथा साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन द्वारा प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त किया गया।

चयनित प्रतिदर्श जबलपुर जिला से संबंधित (2000–2010)

न्यायालय के निर्णय के आधार पर बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं का चयनित प्रतिदर्श

न्यायालय का निर्णय	कुल	प्रतिशत
दोषसिद्ध	7	16.67
बरी	14	33.33
राजीनामा	2	4.76
विचाराधीन	19	45.23
कुल	42	100 प्रतिशत

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त सूचना– जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ मे दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कुल 105 बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं का चयनित प्रतिदर्श

उपरोक्त सारणी बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं में 40 प्रतिशत महिलाओं को निदर्शन के आधार पर चुना गया। जिन्होने बलात्कार से पीड़ित होने पर अपना मुकदमा न्यायालय में लगाया सारणी से प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक 45.23 प्रतिशत मामलों पर कोई निर्णय नहीं हुआ ये मामला अभी विचाराधीन रखा गया है जो सम्पूर्ण का आधा है। वही 33.33 प्रतिशत मामले में अपराधी व्यक्ति साफ बचकर निकल जाता है वही 4.76 प्रतिशत मामले में पीड़ित को न्याय प्रणाली में देरी एवं अपराधी व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किये जाने एवं पारिवारिक परिस्थतियों एवं आर्थिक कारणों से तथा दबाव वश राजीनामा करना पड़ता है। मात्र 16.67 प्रतिशत मामलों में अपराधी व्यक्ति को सजा मिली – जो न्याय प्रणाली एवं न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलम्बन तथा अपारदर्शित पक्षपात एवं न्यायालय की असमर्थता को प्रदर्शित करती है।

न्यायालय से होने वाला निर्णय पीड़ित की सकारात्मक एवं नकारात्मक मानसिक स्थिति को इंगित करता है, जिसमें न्यायालय का निर्णय पीड़ित के पक्ष में होने पर (अर्थात् दोषसिद्ध की स्थिति जिसमें अपराधी को सजा होती है) पीड़ित की न्यायालय व प्रशासन के प्रति सकारात्मक सोच प्रकट होती है और मामलें के बरी होने पर (अर्थात् दोष मुक्त पाये जाने की स्थिति में जिसमें अपराधी को सजा नही होती है) पीड़ित की मानसिकता नकारात्मक होती है जिसमें प्रशासन एवं न्यायालय के प्रति घृणा एवं अविश्वास प्रकट होता है।

सारणी क्रमांक–1
बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का आयु समूह

आयु समूह	कुल	प्रतिशत
6.12	3	7.14
12.18	19	45.23
18.24	8	19.04
24.30	9	21.42
30.36	3	7.14
कुल	**42**	**100**

उपरोक्त सारणी के आवलोकन से ज्ञात होता है, कि 6 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की आयु सूमह की दलित महिलाएँ बलात्कार से पीड़ित पाई गई है। जिसमें सर्वाधिक 45.23 प्रतिशत 12–18 वर्ष की आयु समूह के मध्य पीड़ित पाई गई। इसके बाद क्रमशः 24–30 आयु समूह में 21.42 प्रतिशत, 18–24 आयु समूह में 19.04 प्रतिशत, 6–12 आयु 30–36 आयु समूह में 7.14 प्रतिशत दलित महिलाएँ बलात्कार से पीड़ित पाई गई। प्राप्त तथ्यों के अनुसार बलात्कार से पीड़ित होने वाली दलित जाति की महिलाओं मे अधिक से अधिक नाबालिक होती है।

सारणी क्रमांक–2
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

शैक्षणिक स्थिति	कुल	प्रतिशत
निरक्षर	4	9.52
साक्षर	2	4.76

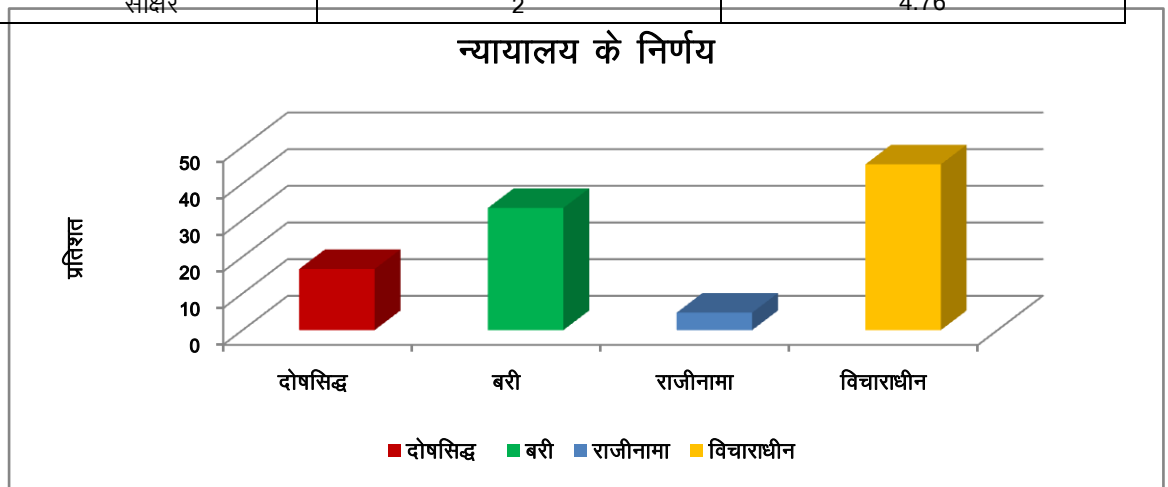

प्राथमिक	7	16.67
माध्यमिक	21	50
हाईस्कूल	7	16.67
स्नातक	1	2.38
कुल	**42**	**100**

सारणी क्रमांक 2 के अनुसार बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं में सर्वाधिक 50 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर 16.67 प्रतिशत प्राथमिक एवं हाई स्कूल 9. 52 निरक्षर, 4.76 प्रतिशत साक्षर तथा सबसे कम 2.38

स्नातक स्तर की महिलाएं पीड़ित दिखाई दी। अतः सारणी में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार उच्चशिक्षित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ कम होती है। जबकि निरक्षर, निम्नशिक्षित मुख्यतः माध्यमिक स्तर तक की शिक्षित दलित महिला बलात्कार से अधिक पीड़ित होती है।

सारणी क्रमांक–3
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	कुल	प्रतिशत
अविवाहित	29	69.05
विवाहित	13	30.95
कुल	**42**	**100**

सारणी क्रमांक 3 के माध्यम से बलात्कार से पीड़ित 69.05 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित थी, जबकि 30. 95 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित पाई गई। अतः प्राप्त तथ्यों से प्रदर्शित होता है, कि बलात्कार से मुख्यतः कम आयु वर्ग की अविवाहित दलित महिलाओं से अधिक पीड़ित होती है।

सारणी क्रमांक–4
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की निवास स्थान की स्थिति

निवास स्थान	कुल	प्रतिशत
ग्रामीण	20	47.61
नगरीय	22	52.39
कुल	**42**	**100**

सारणी क्रमांक 4 से प्रदर्शित होता है, कि 52.39 प्रतिशत बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं का नगरों में निवास पाया गया, जबकि 47.61 ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली दलित महिलाएं बलात्कार से पीड़ित पाई गई। अतः दोनों ही निवास के स्थानों पर दलित महिलाओं के साथ लगभग समान रूप से बलात्कार की शिकार होती है।

सारणी क्रमांक–5
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार की व्यावसायिक स्थिति

व्यावसायिक स्थान	कुल	प्रतिशत
मजदूरी	22	52.38
परम्परागत/जातिगत व्यवसाय	5	11.90
कृषि	3	7.15
गैर सरकारी सेवा	9	21.42
शासकीय सेवा	3	7.15
कुल	**42**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 5 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि सर्वाधिक 52.38 प्रतिशत पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार के मुखिया मजदूरी करते है। दूसरे स्थान पर 21.42 प्रतिशत गैर सरकारी सेवा, 11.90 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय, तथा 7.15 क्रमशः कृषि एवं शासकीय सेवा करने वाले पाए गये। अतः मुख्य रूप से पीड़ित होने वाली दलित महिलाओं के परिवार का मुख्य व्यवसाय मजदूरी गैर सरकारी सेवा एवं परम्परागत व्यवसाय पाया गया।

सारणी क्रमांक–6
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं के परिवार की औसत मासिक आय

मासिक आय	कुल	प्रतिशत
1500–3000	26	61.90
3001–6000	7	16.67
6001–9000	6	14.28
9001–12000	2	4.77
12000 से अधिक	1	2.38
कुल	**42**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 6 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि 1500–3000 मासिक आय अर्जित करने वाले परिवार की सर्वाधिक 61.90 प्रतिशत दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। 16.67 प्रतिशत के परिवार की मासिक आय 3001–6000 के मध्य, 14.28 प्रतिशत 6001–9000 के मध्य, 4.77 प्रतिशत 9001–12000 के मध्य तथा 2.38 प्रतिशत 12000 से अधिक मासिक आय अर्जित करने वाले परिवार की सबसे कम महिलाएँ पीड़ित पाई गई अर्थात् मुख्य रूप से बलात्कार से पीड़ित होने वाली महिलाओं के परिवार की मासिक आय 1500–3000 के मध्य देखी गई है, जो उनकी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण एंव अत्याचार के मध्य संबंध को दर्शाती है।

सारणी क्रमांक–7
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं के मकान का स्वरूप

मकान का स्वरूप	कुल	प्रतिशत
कच्चा	30	71.42
मिश्रित	10	23.80
पक्का	2	4.76
कुल	**42**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 7 के अनुसार बलात्कार से अधिक पीड़ित होने वाली दलित महिलाओं में सर्वाधिक 71.42 प्रतिशत कच्चे मकानों में रहने वाली, 23.80 प्रतिशत मिश्रित मकानों में रहने वाली तथा सबसे कम 4.76 प्रतिशत पक्के मकानों में रहने वाली पाई गई।

सारणी क्रमांक–8
बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की जातीय स्थिति

जातीय स्थिति	कुल	प्रतिशत
चमार	17	40.48
झारिया	6	14.28
बसोर/वंशकार	6	14.28
कोरी	3	7.14
चडार	2	4.76
दाहिया	2	4.76
डुमार	2	4.76
बाल्मीकि	2	4.76
महार	1	2.39
पासी	1	2.39
कुल	**42**	**100**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 8 में बलात्कार से पीड़ित दलित महिलाओं की जाति को दर्शाया गया है, जिसमें चमार जाति के दलित महिला सर्वाधिक 40.48 प्रतिशत पीड़ित पाई गई। उसके बाद क्रमशः झारिया, वंशकार, 14.28, कोरी 7.14 प्रतिशत, चड़ार, दहिया, डुमार, बाल्मिकी, 4.76 प्रतिशत तथा पासी और महार जाति की 2.39 प्रतिशत दलित महिलाएँ बलात्कार से पीड़ित पाई गई।

अतः सारणी से प्राप्त तथ्यों के अनुसार संस्तरण में सबसे निम्न जाति स्थिति रखने वाली जाति की दलित महिलाओं बलात्कार से अधिक पीड़ित पाई जाती है।

तथ्यों का विश्लेषण

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि वाले पीड़ितों की तुलना में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के पीड़ितों पर बलात्कार की घटनाएँ अधिक होती है। वही उच्च शिक्षितों की तुलना में कम शिक्षित एवं अशिक्षित दलित महिलाएँ बलात्कार से अधिक पीड़ित पाये जाते है। संस्तरणात्मक व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर आने वाली जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार (यौन संबंधी अपराधों) की घटनाएँ अधिक होती है।

उपकल्पनाओं का सत्यापन

तथ्यों एवं सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि निम्न मासिक आय वाले कम आमदनी अर्जित करने वाले परिवारों के पीड़ितों की संख्या अधिक दिखाई देती है, वहीं विवाहितों की तुलना में अविवाहित महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएँ अधिक पाई गई तथा उच्च शिक्षितों की तुलना में निम्न शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं पर अत्याचार की संख्या अधिक पाई गई, 18 वर्ष से कम आयु की दलित महिलाएं अधिक अनुपात में बलात्कार से पीड़ित दिखाई देती है। बलात्कार से पीड़ितों में चमार जाति की महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, जो उपकल्पना की वैद्यता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कि जो महिलाएं गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा बलात्कार का शिकार होती है, उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वे अत्यंत निर्धन तथा अशिक्षित या कम शिक्षित होती है तथा कम आयु समूह की अधिक होती है, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में दलित महिलाओं से बलात्कार लगभग समान अनुपात में किया जाता है।

महिला जो पीड़ित होती है उसे ही विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक यातनाओं को सहना पड़ता है साथ ही साथ अपने आंतरिक मन में लगे आघात को भी झेलना पड़ता हैं। सम्पूर्ण समाज परिवार एवं पड़ोस पीड़िता के प्रति अपनी मानसिकता एवं सोच को परिवर्तित कर लेता हैं। पीड़िता के परिवार पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता हैं। परिवार की अन्य स्त्रियों का जीवन भी कष्टमय हो जाता है। उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा एवं सामाजिक सम्मान समाप्त हो जाता है। समाज ऐसे पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति रखने के स्थान पर उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखते है एवं व्यवहार करते है। नातेदार एवं संबंधी भी दूरी रखते है तथा वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने में अनेक सामाजिक मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आरोपी द्वारा पीड़िता एवं उसके परिवार के साथ किया जाने वाला व्यवहार, अज्ञानता अशिक्षा, निर्धनता एवं निम्न सामाजिक तथा अनेक निर्बलताओं के साथ–साथ पुलिस प्रशासन का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भ्रष्टाचार प्रणाली, न्यायिक प्रक्रियाओं का विलम्ब से होना, चिकित्सीय सुविधाओं में लापरवाही प्राप्त वकील का मामले के प्रति निष्ठावान न होना, पूछे जाने वाले प्रश्नों से पीड़िता को प्रत्येक क्षण–बलात्कार से बार–बार पीड़ित होने का अनुभव कराती है।

वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति होने वाली बलात्कार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दलित एवं दलित समुदाय के प्रति होने वाले अत्याचार की घटनाओं के मामलों में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या महिलाओं के विरूद्ध होने वाले यौन अत्याचारों की तरफ तीव्रता से बढ़ती दिखाई देती है।

सुझाव

1. न्यायालय द्वारा पीड़ित दलितों के मामलों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए एवं न्यायायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को अधिक जोर दिया जाना।
2. अत्याचार से पीड़ित दलितों को प्राप्त होने वाली राहत राशि को उन्हें शीघ्र एवं सुनिश्चित राशि प्रदान की जानी चाहिए।
3. पुलिस द्वारा घटना स्थल का उचित निरीक्षण करना चाहिए, तथा घटना स्थल पर शीघ्रता से पहचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. डॉक्टरी परीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट में शुद्धता एवं पारदर्शिता होना चाहिए।
5. शासन द्वारा पीड़ित पक्ष में मुकदमें की पैरवी कर रहे, वकील द्वारा पीड़ित पुरूष एवं महिलाओं से घटना की पूर्ण जानकारी सुनने एवं गंभीरतापूर्ण उसे समझना तथा उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वकील द्वारा ही सही तथ्यों एवं साक्ष्य को उपस्थित न करने के कारण ही पीड़ितों को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पाता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *रावत हरिकृष्ण 2008 : 'उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, (पृ.स. 102)*
2. *क्राइम इन इण्डिया, 1988*
3. *हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 जनवरी 1993*
4. *हिन्दुतान, 29 दिसम्बर 2012*
5. *क्राइम इन इण्डिया, 1988*
6. *आहुजा राम, (1994) 'सामाजिक समस्याएं', रावत पब्लिकेशन, जयपुर*
7. *आहुजा राम एवं मुकेश आहूजा, (1998) 'विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर*
8. *वर्गीज सुधा, (समाजसेविका) हिन्दुस्तान, 23 दिसम्बर 2012*
9. *श्रीकृष्णा (रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट), बी.एन. हिन्दुस्तान, 29 दिसम्बर, 2012*
10. *ब्लूमर हरबर्ट एण्ड फिलिप एम. हाउसर (1966) मूवीज, डेलिनक्वेनसी एण्ड क्राइम, मैकमिलन, न्यूयार्क*
11. *न्यूकॉम्ब, थियोडोर एम. (1950), सोशल साईकोलॉजी, ड्रायडेन, न्यूयार्क, 1950*
12. *सदरलैण्ड, ई.एच.एण्ड क्रेसी, डोनाल्ड आर. (1968), प्रिन्सिपुल्स ऑफ क्रिमीनोलॉजी, द टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस, बम्बई*
13. *दुर्कहैम, एमील (1951), सुसाइड, ट्रान्सलेटेड बाय जे. एल. स्पॉलडिंग एण्ड जी. सिम्पसन, दी फ्री प्रेस, ग्लेनकाई*
14. *अहूजा, राम, (2012) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 246।*
15. *चौधरी, जितेन्द्र कुमार, (2015) दलितों पर अत्याचारः प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, रा.दु.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)*
16. *वर्मा, श्रीमति भावना, (2002) महिलाओं के प्रति अपराध कारण एवं परिणाम, हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, जबलपुर (म.प्र.)*
17. *पंचांग राजकुमारी, (1995), 'मध्यप्रदेश में दलित महिला अतीत वर्तमान और भविष्य', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।*
18. *डाओने सुनील, (2004) नारी उत्पीड़न, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली*